असाईलम (आश्रय) के लिए अर्ज़ी देने के बारे में आपके लिए जानकारी

The Law Society

जब यह पर्चा तैयार किया जा रहता था, उस समय असाईलम (आश्रय) के लिए दी जाने वाली अर्ज़ियों को निपटने का भूतपूर्व इंमीग्रेशन ऐंड नैशनैलिटी डायरेक्टरेट (आई ऐन डी) (Immigration and Nationality Directorate - IND) का काम बार्डर ऐंड इंमीग्रेशन एजंसी (बी आई ए) (Border and Immigration Agency - BIA) नाम वाली एक नई सरकारी एजंसी संभाल रही थी।

जल्दी सलाह लेना

असाईलम या आश्रय से संबंधित कानून पेचीदा है, इस लिए यह ज़रूरी है कि आप बढ़िया कानूनी सलाह लें और कोई आपका केस पेश करे। आप जितनी भी जल्दी हो सके, कोई सोलिस्टर ढूँढें, और असाईलम लेने के लिए दी गई अर्ज़ी के पक्ष में सबूत पेश करने की आख़िरी तारीख़ों का पालन करने के लिए बहुत कम समय मिलता है।

इंगलैंड और वेल्ज़ में सोलिस्टर ढूँढना

इंगलैंड और वेल्ज़ में इंमीग्रेशन और असाईलसम की समस्याओं को संभालने वाला सोलिस्टर ढूँढने के लिए –

- वेबसाईट www.lawsociety.org.uk/findasolicitor पर जाकर 'immigration' शीर्षक के नीचे देखें; या
- इस नंबर पर फ़ोन करें – 0870 606 2555.

आपके सोलिस्टर को किन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए

आप सोलिस्टर को यह जानकारी दें –

- आप अपने देश को छोड़कर यू के में कब आए।
- आप यू के में कैसे और कौनसे रास्ते आए।
- आपने अपना देश क्यों छोड़ा।
- क्या आप अपने देश वापस जाने से डरते हैं? यदि हाँ तो क्यों?
- आपके परिवार के हालात।
- आपने बार्डर ऐंड इमीग्रेशन अथारिटी को कौनसे दस्तावेज़ दिए हैं?
- क्या आपको भर कर भेजने के लिए कोई दस्तावेज़ दिए गए हैं? यदि हाँ तो ये भर कर कब तक भेजने हैं?

आपका सोलिस्टर किस ढंग से मदद कर सकता है

आपका सोलिस्टर –

- यदि आपको असाईलम के लिए अर्ज़ी फ़ार्म दिया गया है तो यह फ़ार्म भरने में आपकी मदद कर सकता है;
- आपका औपचारिक बयान लिखने में मदद कर सकता है;
- आपको सलाह दे सकता है कि आपका केस कितना मज़बूत है;
- यदि आपको हिरासत में रखा (गिरफ़्तार किया) गया है तो आपकी रिहाई के लिए अर्ज़ी दे सकता है;
- यदि आपको अपील करनी है, तो आपका केस तैयार करके आपकी वकालत कर सकता है;
- आपको सलाह दे सकता है कि आपके केस में क्या होगा; और
- आपको अपनी अर्ज़ी के समर्थन में जो जानकारी देने की ज़रूरत हो, वह जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे डाक्टर की रिपोर्ट या आपके देश से आपके हालात के बारे में किसी माहिर की रिपोर्ट।

सोलिस्टर की फ़ीस

यदि आपके पास बहुत कम पैसे हैं, तो तो हो सकता है कि असाईलसम की अर्ज़ी के लिए कानूनी सलाह या मदद मुफ़्त लेने का अधिकार आपको हो। इसे लीगल हेल्प (Legal Help) कहते हैं। आपका सोलिस्टर इसके बारे में आपको बताएगा, और यह भी कि लीगल हेल्प से वह क्या कुछ कर सकता है। वह यह भी बताएगा कि यदि आपको लीगल हेल्प न मिले तो वह आपसे कितने पैसे लेगा।

असाईलम के लिए अर्ज़ी देना

आपको रैफ़्यूजी या आश्रय लेने वाले तभी माना जा सकता है जब आप यह प्रमाणित कर सकें कि यदि आप अपने देश में वापस जाएंगे, तो ख़तरा है कि आपकी नस्ल, धर्म, नागरिकता, राजनीतिक विचारों या किसी ख़ास सामाजिक ग्रुप के मैंबर होने के कारण आपके देश की सरकार आपके साथ वास्तव में अत्याचार (या दुर्व्यवहार) करेगी या वह आपकी रक्षा करने के योग्य नहीं या रक्षा करना नहीं चाहती।

असाईलम के लिए अर्ज़ी देते समय आप मानवीय अधिकारों के आधार पर इस देश में रहने के लिए भी अर्ज़ी देंगे। यदि आप यह प्रमाणित कर सकें कि यदि आप अपने देश में वापस गए तो आपके साथ अमानवीय या घटिया व्यवहार होगा या आपको दंड मिलेगा, तो 'मानवीय आधार पर सुक्षा' लेने का आपको अधिकार होगा।

मानवीय अधिकारों से संबंधित कानून के आधार के अन्य कारण भी हो सकते हैं कि आपको यू के में रहने की अनुमति दी जाए। आपका सोलिस्टर बता सकता है कि क्या असाईलम, मानवीय सुरक्षा या अन्य कोई अनुमति लेने के लिए आपकी अर्ज़ी के सफल होने की कितनी संभावना है।

स्क्रीनिंग (जाँच पड़ताल) के लिए इंटर्व्यू

आपको चाहिए कि जहाँ तक संभव हो जल्दी से जल्दी असाईलम के लिए अर्ज़ी दें। यह काम उस हवाई अड्डे या बंदरगाह पर भी किया जा सकता है जहाँ आप पहुँचते हैं। यदि आप यू के में दाख़िल होने के बाद अर्ज़ी देना चाहें, तो आपको क्रायडन या लिवरपूल में असाईलम स्क्रीनिंग यूनिट को अर्ज़ी भेजनी होगी। यह अर्ज़ी पहुँचने वाले दिन या इसके शीघ्र बाद भेजी जा सकती है, और आपको 'स्क्रीनिंग इंटर्व्यू' के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ बार्डर ऐंड इंमीग्रेशन एजंसी वाले आपके निजी हालात के बारे में और यह प्रश्न पूछेंगे कि आप यू के में कैसे आए। आपकी उंगलियों के निशान और फ़ोटो लिए जाएंगे और आपको ऐप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड (ए आर सी) दिया जाएगा जिससे यह पता चलेगा कि आपने असाईलम के लिए अर्ज़ी दी है।

फिर बार्डर ऐंड इंमीग्रेशन यह फ़ैसला करेगी कि आपकी अर्ज़ी के बारे में कैसे फ़ैसला करना है।

इंटर्व्यू के समय, बार्डर ऐंड इंमीग्रेशन अथारिटी को सही पासपोर्ट या अन्य प्रकार के पहचान पत्र दिखाना आपके लिए अनिवार्य होगा। यदि आपके पास कोई भी स्वीकार करने योग्य दस्तावेज़ नहीं है, तो आप तुरंत अपने सोलिस्टर से सलाह लें।

न्यू असाईलम मॉडल (ऐन ए ऐम)

इस समय, आपके केस के बारे में विचार शायद न्यू असाईलम मॉडल के अनुसार किया जाएगा। यदि आपके केस के बारे में विचार न्यू असाईलम मॉडल के अनुसार होना है, तो होम ऑफ़िस का कोई 'केस ओनर' आपकी अर्ज़ी पहुँचने के चार दिन बाद आपसे मिलेगा, और सभी पड़ावों पर आपके केस की ज़िंमेदारी संभालेगा, जिसमें आपके साथ इंटर्व्यू करना, ज़रूरत होने पर अपील करना, रिहाइश और वैलफ़ेअर के पैसों से मदद करना, और यदि आपका केस सफल हो जाए तो यहाँ रहने में मदद देना शामिल हैं। यदि आपका केस सफल न हो, तो केस ओनर आपकी इच्छा से यू के में से जाने का या आपको ज़बरदस्ती भेजने का प्रबंध भी करेगा।

स्टेटमेंट ऑव ऐवीडेंस फ़ार्म

हो सकता है कि बार्डर ऐंड इंमीग्रेशन अथारिटी आपको भरने के लिए स्टेटमेंट ऑव ऐवीडेंस फ़ार्म (ऐस ई ऐफ़) दे। यह फ़ार्म आपको अवश्य अंग्रेज़ी में भरकर कामकाज के 10 दिनों के अंदर वापस भेजना होगा। इस फ़ार्म के सभी भाग भरकर इसे समय पर वापस भेजना बहुत ज़रूरी है।

आपको चाहिए कि आप यह फ़ार्म भरने में अपने सोलिस्टर से मदद लें। यह फ़ार्म भरना सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। कई बार बार्डर ऐंड इंमीग्रेशन अथारिटी असाईलम इंटर्व्यू दे समय दी गई जानकारी के आधार पर ही फ़ैसला कर लेती है।

असाईलम (आश्रय) के लिए अर्ज़ी देने के बारे में आपके लिए जानकारी

The Law Society

असाईलम इंटर्व्यू

हो सकता है कि आपको स्क्रीनिंग इंटर्व्यू के बाद अधिक लंबी इंटर्व्यू के लिए जाना पड़े – यह बताने के लिए कि आपने असाईलम के लिए अर्ज़ी क्यों दी है। आप अपनी अर्ज़ी के बारे में जितनी अधिक जानकारी दे सकते हैं वह दें, जिसमें डाक्टरों और माहिरों की रिपोर्टें भी शामिल हैं। यह इंटर्व्यू बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि बार्डर ऐंड इंमीग्रेशन अथारिटी इस जानकारी का उपयोग आपकी अर्ज़ी के बारे में फ़ैसला करने के लिए करेगी। यदि आपने स्टेटमेंट ऑव ऐवीडेंस फ़ार्म भरा है, तो इसमें दी गई जानकारी की तुलना उन बातों के साथ की जाएगी जो आप इंटरव्यू के समय बताएंगे। यह इंर्टव्यू बहुत महत्त्वपूर्ण है, इस लिए अपने सोलिस्टर से पूछ लें कि क्या वह आपके साथ जा सकता/सकती है। यदि सोलिस्टर साथ न जाए, तो आप इंटर्व्यू के रिकार्ड करने की माँग कर सकते हैं।

हिरासत में रखना

आपकी अर्ज़ी की सुनवाई के समय, आपको किसी भी समय हिरासत में रखा (गिरफ़्तार किया) जा सकता है। यदि आपको गिरफ़्तार किया जाए, तो आप उसी समय अपने सोलिस्टर से संपर्क करें और रिहाई के लिए अर्ज़ी देने के बारे में पूछें।

आपको गिरफ़्तार करने के स्थान पर आपको टैग लगाई जा सकती है (जिससे आपके आने जाने के बारे में इलैक्ट्रानिक ढंगों से पता लगाया जाता है) या आपको कहा जा सकता है कि आप नियमित रूप से किसी सेंटर में जा कर हाज़री लगवाते रहें।

यह बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए बार्डर और इंमीग्रेशन एजंसी को बताना बहुत ज़रूरी है कि वे हर समय आपके साथ संपर्क कहाँ कर सकते हैं, और यह बात आप अपने सोलिस्टर को भी बता दें।

अपीलें

यदि आपकी अर्ज़ी अस्वीकार हो जाए, तो आप इस फ़ैसले के विरुद्ध अपील करने के बारे में सलाह लेने के लिए तुरंत अपने सोलिस्टर से संपर्क करें। यह अपील करने के लिए समय की हद बहुत सख़्त है। कई हालतों में आप केवल यू के से बाहर जाकर ही अपील कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका सोलिस्टर आपका केस तैयार करके आपकी वकालत कर सके। यह काम मुफ़्त लीगल एड से अलग है जिसके अधिकारी आप कंट्रोल्ड लीगल रिप्रिज़ेंटेशन के अनुसार हो सकते हैं। आपका सोलिस्टर आपको इसके बारे में समझाएगा, और बताएगा कि यदि आपको मुफ़्त सलाह नहीं मिल सकती, तो वह आपसे कितने पैसे लेगा।

पैसे और रिहाइश

यदि आप किसी भी ढंग से अपना गुज़ारा नहीं चला सकते, तो बार्डर ऐंड इंमीग्रेशन अथारिटी को नेशनल असाईलम सुपोर्ट सर्विस (ऐन ए ऐस ऐस) के लिए अर्ज़ी दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको नकद पैसे या अस्थाई रिहाइश मिल जाए। रहने के लिए आपको देश के किसी अन्य भाग में भी भेजा (या डिस्पर्स किया) जा सकता है। आपका सोलिस्टर आपको बता सकता है कि आपको किस प्रकार की मदद लेने का अधिकार हो सकता है)।

फ़ासस्ट ट्रैक (तेज़ी से निपटाने वाले) केस

यदि बार्डर ऐंड इंमीग्रेशन अथारिटी यह समझे कि आपकी अर्ज़ी बिल्कुल सरल और स्पष्ट है, तो वह आपके केस को फ़ास्ट ट्रैक द्वारा निपटा सकती है, जिसका अर्थ यह है कि इसे तेज़ी के साथ निपटाया जाएगा और आपको हिरासत में रखा जा सकता है। यदि आपको फ़ास्ट ट्रैक स्कीम में रख लिया जाए, तो आप जितनी भी शीघ्र हो सके अपने सोलिस्टर से संपर्क करें।

यू के से निकालना

यदि आपकी अर्ज़ी अस्वीकार हो जाए, तो इस बात की संभावना है कि आपको यू के से बाहर जाना पड़ेगा। बार्डर ऐंड इंमीग्रेशन अथारटी आपको ज़बरदस्ती निकाल सकती है और ऐसा करने के लिए आपको गिरफ़्तार भी कर सकती है। यदि आपकी अर्ज़ी अस्वीकार हो जाए, तो यह ज़रूरी है कि आप तुरंत अपने सोलिस्टर से संपर्क करें। यदि यू के में जे जाने के लिए यात्रा दस्तावेज़ प्राप्त करने में आप सरकार को सहयोग नहीं देंगे, तो यह अपराध होगा।

स्कॉटलैंड में सोलिस्टर ढूँढना

यह पर्चा ला सोसाइटी ऑव इंगलैंड ऐंड वेल्ज़ ने प्रकाशित किया है। स्कॉटलैंड में सोलिस्टर ढूँढने के लिए –

- ला सोसाइटी ऑव स्कॉटलैंड को नंबर 0131 226 7411 पर फ़ोन करें; या
- उनकी इस वेबसाईट पर जाएं – www.lawscot.org.uk

अधिक जानकारी

यह पर्चा सोलिस्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली आम कानूनी सेवाओं के बारे में पर्चों की शृंखला में से एक पर्चा है। इस शृंखला के पर्चों की लिस्ट नीचे दी गई है। ये पर्चे आप अपने सोलिस्टर से ले सकते हैं या ला सोसाइटी को नम्बर 0870 3333 084 पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं।

- वसीयत करने के बारे में आपके लिए जानकारी
- आपका अपना घर ख़रीदने के बारे में आपके लिए जानकारी
- तलाक लेने के बारे में आपके लिए जानकारी
- काम पर आने वाली मुश्किलों के बारे में आपके लिए जानकारी
- कारोबार शुरू करने के बारे में आपके लिए जानकारी
- निजी चोट का मुआवज़ा माँगने के बारे में आपके लिए जानकारी
- वृद्ध लोगों की आर्थिक समस्याओं के बारे में आपके लिए जानकारी
- अपने साथी के साथ घर बसाने के बारे में आपके लिए जानकारी
- अपना मकान किराये पर देने के बारे में आपके लिए जानकारी
- घर किराये पर लेने के बारे में आपके लिए जानकारी
- सोलिस्टर का उपयोग करने के बारे में आपके लिए जानकारी
- प्रोबेट (वसीयत की सरकारी जाँच पड़ताल) के बारे में आपके लिए जानकारी

यह पर्चा आप बड़े अक्षरों या ब्रेल में, सुनने वाली टेप पर, और सी डी पर भी मंगवा सकते हैं। यदि यह पर्चा आपको इनमें से किसी रूप में चाहिए, तो कृपया हमारे साथ इस ईमेल पते पर संपर्क करें – accessibility@lawsociety.org.uk, या हमें नंबर 0870 606 2555 पर फ़ोन करें।

यह पर्चा आप विभिन्न भाषाओं में भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारी इस वेबसाईट पर जाएं – www.lawsociety.org.uk.

Lexcel

Look for Lexcel - the mark of excellence

यद्यपि सही जानकारी देने की हमने पूरी कोशिश की है, परंतु कानून हमेशा बदलता रहता है, और इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार का होता है।
यह पर्चा आपके बारे में विशेष सलाह का स्थान नहीं ले सकता, और यदि आप केवल इसी पर्चे पर निर्भर रहेंगे, तो इसके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

Designed by dmlmarketing.co.uk Version 2, 2007 Your guide to claiming asylum - Hindi